राजस्थान सरकार

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर

क्रमांक: F.19(1)/IC/RIPA/2018 15618 दिनांक 01/10/2019

कार्यालय आदेश

राजस्थान प्रशासनिक सेवा (बैच 2019) का संस्थानिक-व्यावसयिक प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 21 अक्टूबर 2019 से 21 अगस्त 2020 (44 सप्ताह) के सफल एवं सुव्यवस्थित संचालन हेतु निम्नानुसार सहपाठ्यक्रम निदेशक व सहायक पाठ्यक्रम निदेशक नियुक्त किए जाते है:

राजस्थान प्रशासनिक सेवा (एक सेक्शन, पटेल भवन, कॉन्फ्रेंस हॉल)

पाठ्यक्रम निदेशक:-डॉ भागचन्द बधाल, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

सहपाठ्यक्रम निदेशक:- श्री हरिसिंह मीना, संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

सहायक पाठ्यक्रम निदेशक:- 1. सुश्री प्रगति आसोपा, उप निदेशक (प्रशासन-।।)
2. श्री कमलेश कुमार शर्मा, (एनालिस्ट कम प्रोग्रामर)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन), प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण में सहयोग हेतु उपयुक्त पूर्ण अवधि हेतु एक सहायक कर्मचारी तैनात करेंगे।

इनके निम्नलिखित कार्य होंगे:-

1. समय सारणी (Time Table) उक्त कोर्स टीम तैयार करेगी और उसकी प्रतिलिपी Institutional Cell को समय समय पर उपलब्ध करवाने का श्रम करें।
2. अपनी-अपनी कक्षाओं में निर्धारित समय पर बायोमैट्रिक मशीन की सहायता से उपस्थिति दर्ज कराने के साथ ही उपस्थिति पंजिका में भी उपस्थिति दर्ज कराना।
3. कक्षा में सभी प्रशिक्षुओं को समुचित बैठक स्थान आवंटित करना।
4. कक्षा में मोबाइल का उपयोग पूर्णत: वर्जित रहेगा।
5. कक्षा के दौरान कोई भी प्रशिक्षु बाहर नहीं जावेगा। विशेष परिस्थिति में ही जाने की आज्ञा सैक्शन प्रभारी दे सकेगें।
6. यह सुनिश्चित करना कि रोजाना सभी कक्षाएं समय पर प्रारम्भ हो व अनुशासन बना रहें।
7. प्रशिक्षुओं को किसी भी प्रकार का कोई अवकाश सामान्यत: स्वीकृत नहीं किया जावेगा परन्तु आवश्यक होने पर अवकाश की स्वीकृति पाठ्यक्रम निदेशक द्वारा ही दी जावेगी।
8. यह सुनिश्चित करना कि कक्षा में सभी श्रृव्य-दृश्य संसाधन यथा कम्प्यूटर, एल.सी.डी., पोडियम, प्रोजेक्टर आदि कार्यशील रहें तथा प्रोजेक्शन स्क्रीन पर कुछ लिखा नहीं जावें।
9. सह-पाठ्यक्रम निदेशक एवं सहायक पाठ्यक्रम निदेशक प्रशिक्षण स्थल पर मौजूद रहेंगे। यदि उन्हे किसी कारणवश बाहर जाना है तो पाठ्यक्रम निदेशक से अनुमति ली जाए।

1/X/19

(डॉ भागचन्द बधाल)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशिक्षण)
दिनांक 01/10/2019

क्रमांक: 15619 - 32

प्रतिलिपि:

1. संबंधित अधिकारी, संस्थान।
2. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) एवं कार्यालयाध्यक्ष, संस्थान।

3. प्रभारी अधिकारी (प्रशिक्षण एवं योजना), संस्थान।
4. प्रोग्रामर, उक्त आदेश संस्थान की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
5. सहायक प्रशासनिक अधिकारी, संस्थापन, ह.च.मा. रीपा।
6. निजी सचिव, महानिदेशक/अतिरिक्त महानिदेशक/अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन/लेखा)।
7. इंस्टीट्यूशनल सेल, संस्थान।
8. गार्ड फाइल।

1/X/19

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)